

संख्या-02/2018-19


नगर पंचायत, बासुकिनाथ अंतर्गत निम्नांकित कार्य हेतु निर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं से दर निविदा सीलबंद लिफाफा में दिनांक 05-07-2018 को नगर पंचायत, बासुकिनाथ कार्यालय में अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त निविदा को ई-प्रोक्योरमेंट समिति, नगर पंचायत, बासुकिनाथ के समक्ष दिनांक 06-07-2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा। जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

क्रमांक	कार्य का नाम	छर	अग्रधन
1	Hand Trolley of 250 Ltr. (ISI Mark)	निविदाकार को सामग्री से संबंधित दर सभी करों सहित अंकित करना होगा	`10000/-
2	Manual Rickshaw of 1000 Ltr. With Twin Bin (ISI Mark)		`10000/-
3	Movable Steel Dustbin (Container) with partition of size to fit in container placer(Eicher -10.50)of Nagar Panchayat, Basukinath Specification Size : 10'3" x4'6" x4'8" Channel: 75 x15x6 mm Angle : 50x23x6 mm Bottom : 10 Gauge Side : 12 Gauge Cover : 14 Gauge Paint: Blue & Green Colour with Logo of SBM as per attached drawing and suitable container Placer of Nagar Panchayat, Basukinath		`50000/-
4	GI/Steel Dustbin 650 Ltr . (ISI Mark)		`10000/-
5	Steel Tanker of 2000 Ltr. with Trolley Base Chesis, New Tyre & New Tube etc. (Thickness of Tanker - 8 mm Gauge) for Drinking Water (ISI Mark)		`10000/-
6	Sound System with all accessories for Door to Door Waste Collecting Vehicles (Auto Tipper TATA ACE 1000 ltr & 1800 Ltr.) under Nagar Panchayat, Basukinath		`5000/-

- : निविदा की शर्तें : -

- 1) दर निविदा एक बंद लिफाफे में जिसके उपर कार्य का नाम सूचना संख्या इत्यादि अंकित कर डालना अनिवार्य होगा।
- 2) निविदा दाता को कलर कैटलॉग एवं सामग्रियों के विशिष्टयों (Specification of Equipment) सहित अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
- 3) निविदादाताओं को निविदा के साथ उपरोक्त निर्धारित सुरक्षित राशि का बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बासुकिनाथ के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, बासुकिनाथ शाखा पर देय जमा करना अनिवार्य होगा।
- 4) निविदा के साथ निविदादाता को निबंधन प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर रिटर्न, पेनकार्ड, अधिकृत विक्रेता/निर्माता से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 5) निविदादाताओं को सामग्रियों का दर सभी कर सहित देना अनिवार्य होगा। डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 6) निविदादाता को कम से कम 20 रूपये के स्टाम्प पेपर में अपने प्रतिष्ठान/कम्पनी के काली सूची में नहीं होने तथा रूग्ण अवस्था में नहीं होने एवं हर प्रकार के आरोपों एवं सभी प्रकार के सरकारी जाँचों से मुक्त होने संबंधी शपथ पत्र दाखिल करना अनिवार्य होगा।

- 7) उपरोक्त कार्य हेतु न्यूनतम एक वर्ष की गारंटी देना अनिवार्य होगा। इस अवधि में यदि सामनों में गडबडी पाई जाती है तो उसे सूचना प्राप्ति पर तुरंत बदलना होगा या ठीक करना होगा अन्यथा जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी। एक वर्ष के उपरांत ही जमा अग्रधन राशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता को किया जाएगा।
- 8) स्वीकृत दर पर आपूर्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर सामग्री कार्यालय में आपूर्ति कर अधिष्ठापित करना होगा जिसका अलग से भाडा देय नहीं होगा। सामग्री आपूर्ति/अधिष्ठापन के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा।
- 9) विपत्रों से काटी जाने वाला 5 प्रतिशत सुरक्षित राशि एवं अग्रधन की राशि का भुगतान गारंटी अवधि के पश्चात सामग्री के संतोषप्रद होने की स्थिति में किया जाएगा।
- 10) निविदा की तिथि/समय में परिवर्तन करने या बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
- 11) विशेष जानकारी कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।
- 12) खराब सामग्री आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे ऐसी स्थिति में उन्हें काली सूची में डाल दिया जाएगा।
- 13) सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 14) निविदा क्रमांक 1 से 5 के लिए तृतीय पक्षीय जाँच प्रतिवेदन तथा क्रमांक 6 के लिए कनीय अभियंता द्वारा कार्य संतोषप्रद होने संबंधी प्रमाण पत्र देने के पश्चात ही विपत्र का भुगतान किया जाएगा।


कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, बासुकिनाथ।
26/6/18